पंचम माला, खंड 11, अंक 1-10 सोमवार, 13 मार्च, 1972/23 फाल्गुन, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. XI, No. 1-10 Monday, March 13, 1972/ Phalguna 23, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

PARLIAMENT LIBRARY
No. 66222
Date

Preservation Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

71

Lok-Sabha Debates
(Hindi)

Vol. XI

No. 1-10

13-24 March

1972

P.L.

लोक-सभा

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

13 मार्च, 1972 । 23 फाल्गुन, 1893 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
13	ऊपर से पंक्ति 8 में 'व्यास' के स्थान पर 'न्यास' पढ़िये ।

विषय सूची/CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 13 मार्च, 1972/23 फाल्गुन, 1893 (शक)

No. 1, Monday, March 13, 1972/ Phalguna 23, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members	i–x
सभा के पदाधिकारी	Officers of the House	xi
भारत सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री आदि	Govt. of India–Ministers, Ministers of State, etc. ...	xii—xiii
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण-सभा-पटल पर रखा गया	President's Address–Laid on the Table ...	1—7
निधन-सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References	8–9
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	10
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	10
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan	11
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	12
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	12
श्रीमती एम० गोडफ्रे	Shrimati M. Godfrey	12
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	12–17
निर्वाचन विधि में संशोधनों सम्बन्धी संयुक्त समिति प्रतिवेदन	Joint Committee on Amendments to Election Law Report ...	18
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1971-72 विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (General) 1971–72 Statement Presented ...	18
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1969-70 विवरण प्रस्तुत किया गया	Demands for Excess Grants (General) 1969–70 Statement Presented ...	18
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1971-72 विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (Railways) 1971–72 Statement Presented ...	18
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1969-70 विवरण प्रस्तुत किया गया	Demands for Excess Grants (Railways) 1969–70 Statement Presented ...	18

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, (श्री मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकपल्ली)
अफजल पुरकार, श्री धर्मराव शरणप्पा (गुलबर्गा)
अम्बेश, श्री छत्रपति (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गौंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मण्डला)
उन्नीकृष्णन् श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहरदगा)
उरांव, श्री टुला (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (बेल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

ओ

ओझा, श्री घनश्याम भाई (राजकोट)

क

कक्कोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री आर० सी० (कासरगोड)
कतामुतु, श्री (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याण सुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री अर्जुन श्रीपत (खामगाव)
कादर, श्री सालेभाई अब्दुल (बम्बई मध्य-दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री तुलसीराम दशरथ (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री बाबूराव जंगलुजी (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुमारमंगलम, श्री एस० मोहन (पांडीचेरी)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर-पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोलाशट्टी, श्री ए० आर० (बेलगांव)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्ण, श्री एस० एम० (मंडया)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हसकोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतह सिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० वी० (वारंगल)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर-पश्चिम)
गोटखिंडे, श्री अन्ना साहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करुर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री चाउ चन्द्रेत (नाम निर्देशित: उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र-आसाम)
गौडफे, श्रीमती एम० (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
गौडर, श्री जे० एम० (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्रशेखरप्पा वीरबासप्पा, श्री टी० बी० (शिमोगा)
चन्द्राकार, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री डी० आर० (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री खेमचन्द भाई (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चित्तबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरूपत्तूर)
चेलाचेमी, श्री ए० एम० (टेंकासी)

चौधरी, श्री ग्रमर सिंह (मांडवी)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहामपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (घुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धारा)

छ

छुट्टन लाल श्री (सवाई माधोपुर)
छोटेलाल, श्री (चेल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरकी (कोट्टयम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार ग्रलीखां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमेड)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चाँदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोंम्बी सिंह, श्री एन० (ग्रान्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बाँसवाड़ा)

ढ

ढिल्लन, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरीडकर, श्री वेंकटराव वावाराव (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दपल्लि)
तुलसीराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री कमल नाथ (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० मोकिन (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दण्डवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० ग्रार० (शोलापुर)
दास, श्री ग्रनादि चरण (जोजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्ण नगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीराम (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री लक्ष्मनन् काकाद्या (दहानू)
दूवे, श्री ज्वालाप्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राव सिंह (कोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परमणी)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी आर० (सूरत)
देसाई, श्री सी० सी० (साबरकंठा)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछली शहर)

ध

धर्म गज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री भाऊसाहिब (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोते, श्री जम्बुवन्त राव बापूराव

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बालकृष्ण वेनकन्ना (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (कैसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालक, श्री राजाराम दादा साहेब (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस. टी. (भीर)
पटनायक, श्री जानकी बल्लभ (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)
परमार श्री भालजीभाई रावजी भाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री रामभगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडेय डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सूरज (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दोली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विख (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उसमानाबाद)
पाटिल, श्री चूड़ामन आनन्द (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, श्री नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थासारथी, श्री (राजमपट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावेलिक्करा)
पुरती, श्री एम० एस० (सिंह भूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नगिरि)
पैन्यूलि, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (गोरखपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्भलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े, श्री आर० बी० (खारगांन)

बरुश्रा, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री श्रार० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराभार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (श्रमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (श्रम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बालतन्डायुतम, श्री के० (कोयम्बटूर)
बासप्पा, श्री कोंडाजी (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (श्रलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री श्रोंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्यचरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाढ़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भंडारे, श्री श्रार० डी० (बम्बई मध्य)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बलिराम (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुश्रा)
भार्गव, श्री विश्वेश्वरनाथ (श्रजमेर)
भार्गवी तनकप्पन, श्रीमती (श्रडूर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गौड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
ल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री कृष्णन् (मद्रास उत्तर)
मरांडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाड़ा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुल्डाना)
महाजन, श्री विक्रमचन्द (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महा दीपक सिंह शाक्य, श्री (कासगंज)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाढ़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिदम्बरम)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिनिमाता श्रगमदास, श्रीमती (जंजगीर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (श्रमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड)
मुन्शी, श्री पी० श्रार० दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (मजेरी)
मैनन, श्री बी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराव (अमरेली)
मेहता, श्री प्रसन्नभाई (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री कृष्ण (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मुहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बैरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ, श्री (सि...)
मुहम्मद शरीफ, श्री (पोरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री देवनन्दन प्रसाद (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सितामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (माधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राजंगम, श्री एम० (डिंडीगुल)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णा, श्री एस० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महारजगंज)
रामधन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राय, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्री सिद्धार्थ शंकर (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बो० राधाबाई आनन्द (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टणम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, श्री डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (वोब्बिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छतरपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री रामगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव श्री डा० वी० के० आर० वर्द्धराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी कुमार (काकीनाड़ा)
रिछारिया, डा० गोबिन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कुडप्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगांडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिम्हा एन० (चितूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बेंकट (कावलीं)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायलगूड़ा)

रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन, एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चंडीगढ़)
विश्वनाथ, श्री जी० (वन्डीवास)
वीरभद्र सिंह श्री, (मन्डी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नंन्दयाल)
वेकारिया, श्री नांनजी भाई रावजी भाई (जूनागढ़)

श

शकरदेव, श्री (बीदर)
शंकर गिरि, श्री वी० (दमोह)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकौड़ी)
शंकर दयाल सिंह, (छतरा)
शफकत जंग, श्री (केराना)
शफी, श्री ए० (चांदा)
शम्भुनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री अन्नत प्रसाद (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री रामनारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, श्री शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामानन्द (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्व नारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनावाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० रंगनाथ (उदीपी)
शिव चंडिका, श्री (वांका)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुँझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह, श्री (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द्रपाल (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कदीव मिनिकाय तथा अमीनदीबी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्रीदेवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री ब्रीड्डिका (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साधूराम, श्री (फिल्लोर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)

सामिनाथन, श्री पी० ए० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (वेतूल)
सामवन्त, श्री शकर राव (कोलाबा)
सावित्रि श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिंह, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (हाजीपुर)
सिंह, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री बी० एन० पी० (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री मद्दी (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरी)
सुब्रावेलु, श्री के० (मयूरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एल्लूरु)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री ऐरा (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेठी, श्री पी० सी० (इन्दौर)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुलकी राज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोनारा, डा० ए० जी० (रामटेक)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोमचन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीन सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालधर)
स्वतन्त्र, श्री तेजासिंह (संगरूर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्ध रामेश्वर (कोप्पाम)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैय्या, श्री के० (बगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुरी)
हरी सिंह श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

———

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी
श्री आर० डी० भण्डारे
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे
श्रीमती शीला कौल
डा० सरदीश राय
श्री इरा सेझियान

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री	...	श्रीमती इन्दिरा गांधी
कृषि मन्त्री	...	श्री फखरूद्दीन अली अहमद
वित्त मन्त्री	...	श्री यशवन्तराव चह्वाण
रक्षा मन्त्री	...	श्री जगजीवनराम
विदेश मन्त्री	...	श्री स्वर्ण सिंह
औद्योगिक विकास मन्त्री	...	श्री मोइनुल हक चौधरी
निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री	...	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री	...	श्री एच० आर० गोखले
रेल मन्त्री	...	श्री के० हनुमन्तैया
इस्पात और खान मन्त्री	...	श्री एस० मोहन कुमारमंगलम
संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री	...	श्री राज बहादुर
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति विभाग मन्त्री	...	श्री सिद्धार्थ शंकर राय
पर्यटन और नागर विमान मन्त्री	...	श्री डा० कर्ण सिंह
योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री	...	श्री सी० सुब्रह्मण्यम्

राज्य मन्त्री

संचार मन्त्री	...	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
पूर्ति मन्त्री	...	श्री डी० आर० चव्हाण
योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	श्री मोहन धारिया
वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	श्री के० आर० गणेश
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	श्री आई० के० गुजराल
श्रम और पुनर्वास मन्त्री	...	श्री आर० के० खाडिलकर
इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	डा० सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	श्री ओम मेहता
गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री	...	श्री राम निवास मिर्धा

विदेश व्यापार मन्त्री	...	श्री एल० एन० मिश्र
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री	...	प्रो० एस० नुरुल हसन
औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	श्री घनश्याम ओझा
गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	श्री कृष्ण चन्द पन्त
सिंचाई और विद्युत मन्त्री	...	डा० के० एल० राव
कम्पनी कार्य मन्त्री	...	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	श्रीमती नन्दिनी सत्पथी
कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री	...	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	...	प्रो० शेर सिंह

उप-मन्त्री

कम्पनी कार्य विभाग में उप-मन्त्री	...	श्री वेदव्रत बरूआ
विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री	...	श्री ए० सी० जार्ज
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री	...	श्री ए० के० किस्कु
सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री	...	श्री बैजनाथ कुरील
गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री	...	श्री मोहसिन
कृषि मन्त्रालय में उप-मन्त्री	...	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री	...	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री	...	श्री के० एस० रामास्वामी
वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री	...	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री	...	श्री बी० शंकरानन्द
औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री	...	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री	...	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री	...	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री	...	श्री केदारनाथ सिंह
विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री	...	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह
श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री	...	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री	...	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 13 मार्च, 1972/23 फाल्गुन, 1893 (शक)

Monday, March 13, 1972/ Phalguna 23, 1893 (Saka)

लोक-सभा बारह बजकर चालीस मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at forty minutes past Twelve of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
Member Sworn

श्री एल० एन० मिश्रा (दरभंगा)

राष्ट्रपति का अभिभाषण
PRESIDENT'S ADDRESS

सचिव : मैं 13 मार्च, 1972 को हुए संसद् के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अभिभाषण

माननीय संसद सदस्यगण,

राष्ट्र एक बहुत बड़ी परीक्षा में खरा उतरा है। बाहरी आक्रमण के मौके पर देश ने बहुत बड़ी एकता, साहस, संवेदनशीलता तथा स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया। इससे संसार को यह स्पष्ट हो गया है कि देश के लोग किस तत्व के बने हैं। बंगला देश के साढ़े सात करोड़ लोगों की आज़ादी और जिन्दगी खतरे में पड़ गई थी। इस मामले में जब संसार के लोग आगा-पीछा कर रहे थे, भारत ने अत्याचारों से पीड़ित बंगला देश से भाग कर आए हुए एक करोड़ लोगों को शरण दी। जब हम पर आक्रमण हुआ तो हमने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए उसका मुंहतोड़ जवाब दिया तथा मानव स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हम बंगला देश की सहायता को गए।

हमारी सशस्त्र सेनाओं ने बड़ी वीरता, कुशलता और निष्ठा से युद्ध लड़ा। सेना के तीनों अंगों तथा अर्द्ध-सैनिक संगठनों ने आपसी समन्वय में अनुकरणीय कौशल का परिचय दिया। जवानों और अधिकारियों के बीच भी भाईचारे का अपूर्व सम्बन्ध देखा गया। सेना के बहुत से जवानों और अधिकारियों ने वीरगति प्राप्त कर सर्वोच्च बलिदान किया। बहुत से अपंग हुए जिनके समर चिन्ह आजीवन उन की देश भक्ति के प्रमाण रहेंगे। रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के नाते मैं उनका अभिवादन करता हूँ और उनके परिवारों के प्रति राष्ट्र की सहानुभूति अर्पित करता हूँ। सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने देशवासियों के मनोबल की मैं सराहना करता हूँ, जिन्होंने खतरे की स्थिति तथा सामान्य जीवन के अस्त-व्यस्त होने पर भी शान्ति और धैर्य से काम लिया। युद्ध के कारण जो लोग अपने घर-बारों से विस्थापित हो गये हैं उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व का हमे पूरा आभास है। अन्यत्र भी हमारे नागरिक एकता के सूत्र में बन्धे रहे और उन्होंने अवसर के अनुरूप कार्य किया।

इस कार्य में संसद ने जो मार्गदर्शन दिया, राजनीतिक, राजनयिक तथा सैन्य सम्बन्धी नीति और निर्णयों में सरकार ने जिस विवेक और नेतृत्व का परिचय दिया, प्रशासन के सभी स्तरों पर जो प्रभावकारी कार्य संचालन हुआ, तथा देश की जनता ने जो संकल्प और मनोबल दिखाया उसी सब से यह सफलता सम्भव हो सकी। इस पर देश को गर्व और आत्म विश्वास होना स्वाभाविक है।

पिछले वर्ष आपके समक्ष भाषण करते हुए मैंने कहा था कि अब हमें आर्थिक और सामाजिक पुनर्व्यवस्था की ओर पूरा ध्यान देना है। उस समय हम लोगों को इस बात का अनुमान भी नहीं था कि हम पर एक युद्ध थोपा जाएगा। लेकिन जब कभी किसी चुनौती का हम सामना करते हैं, किसी विशेष ऊंचे आदर्श के लिए खतरा मोल लेते हैं, किसी काम को अच्छी तरह पूरा करते हैं तो उससे हम में एक नई क्षमता और शक्ति का संचार होता है। विगत वर्ष में हमारी एकता, शक्ति और संकल्प तीनों का विकास हुआ है।

इनका उपयोग अब हमें सामाजिक न्याय तथा समानता के कार्यक्रम को व्यापक बनाने में, आत्म-निर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने में और अपनी मूलभूत नीति के अनुसरणों में करना चाहिए जिसके अंतर्गत हम मित्रता का अभिनन्दन, हर प्रकार के दबाव का विरोध व राष्ट्रहित व विश्व-शान्ति का संवर्धन करते हैं।

पिछले बारह महीनों में देश के उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आई और दक्षिण को सूखे का सामना करना पड़ा। बंगला देश से आए हुए शरणार्थियों के कारण विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां और भीषण प्रशासनिक और संगठनात्मक समस्याएँ उत्पन्न हुईं। फिर भी आत्म-निर्भरता के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। अकारण पाकिस्तान ने हम पर जो आक्रमण किया उसका सामना करने के लिए अपनी रक्षा व्यवस्था पर जो हमें अधिक खर्च करना पड़ा उसका भी हमारी अर्थ व्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ा। आज भी हम अपनी सीमाओं के बारे में निश्चिंत नहीं हैं और हमें सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत है। बंगला देश को स्वतन्त्रता मिलने के बाद इस नव-जात राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भी हमें सहायता देनी है। इन सब कारणों से हमारी लघु और दीर्घकालीन आर्थिक प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण स्वाभाविक है।

हमारी अर्थव्यवस्था अपने लोच के कारण अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव का सामना कर सकी जिससे वृद्धि तथा विकास की गति बनी रही। खाद्यान्न का उत्पादन पहले से 8 प्रतिशत अधिक हुआ और 1970-71 के फसली साल में 10.80 करोड़ टन की कुल पैदावार ने एक नया रिकार्ड

बनाया। चालू वर्ष में पैदावार इससे भी अधिक होने की आशा है। परिणामस्वरूप सरकार ने विदेशों से रियायती दर पर अन्न मंगाना बंद कर दिया है। निर्यात बढ़ने लगा है। देहाती क्षेत्रों में अधिक रोज़गार दिलाने और शहर के बेरोज़गारों को रोजी दिलाने के लिए हमारे विशेष कार्य-क्रमों में कुछ प्रगति हुई हैं। इन कार्यक्रमों को और गहन बनाने का विचार है। रोज़गार समिति की अंतरिम रिपोर्ट अभी मिली है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। योजना कमीशन का पुनर्गठन और पंचवर्षीय योजना का पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

भूमि सुधार कार्यों पर तेजी से अमल हो रहा है। असम, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल में पट्टेदारी को अधिक सुरक्षित कराने और लगान में अधिक समानता लाने की दिशा में प्रगति हुई है। असम, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कानून बनाकर कृषि योग्य भूमि की अधिकतम जोत में और कमी कर दी गई है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफा-रिशों पर एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित की गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इन सिफारिशों को ध्यान में रखकर अपने कानूनों में समुचित सशोधन करें।

किसानों को पानी, बिजली और ऋण देने के कार्यक्रमों में प्रगति हुई है। सिंचाई, विशेष कर भूमि जल संसाधनों, के विकास के लिए सार्वजनिक और सहकारी संस्थाओं द्वारा काफी ऋण दिये जा रहे हैं। ग्राम बिजली निगम ने 106 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है; इस राशि में से रियायती शर्तों पर 43 करोड़ रुपए पिछड़े इलाकों को दिए गए हैं।

उद्योग के क्षेत्र में धीमी प्रगति चिन्ता का विषय है। इस स्थिति को सुधारने के लिए कई उपाय बरते गए हैं, विशेषकर ऐसे उपाय जिनसे क्षमता का ज्यादा अच्छा उपयोग और उद्योगों के लिए लाइसेंस देने की गति में तेजी हो सके। नए और मध्यम श्रेणी के उद्यमकर्त्ताओं की मांगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं की ऋण देने की नीतियों का पुनर्निर्धारण पिछड़े इलाकों के लाभ की दृष्टि से किया गया है। छोटे उद्योग-धन्धों को अधिक मात्रा में कच्चा माल दिला कर और आवश्यकतानुसार आयात की सुविधायें देने से उनका उत्पादन बढ़ा है।

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक व्यय की व्यवस्था की है क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था में उद्योग सम्बन्धी कार्यकलापों की गति का संचालन अधिकतर इस प्रकार के व्यय से होता है। प्रत्येक मंत्रालय में कार्यकारी दलों की स्थापना कर दी गई है कि वे योजना स्कीमों की प्रगति का आकलन करें, उनकी कमियों का पता लगायें और परिवर्तनों का सुझाव दें। सरकार को बन्द उद्योग-कारखानों का नियंत्रण हाथ में लेने और अधिक अधिकार दिलाने की दृष्टि से उद्योग विकास एवं (नियमन) अधिनियम में संशोधन किया गया है। एक योजना विनियोजना बोर्ड शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा जो बड़ी राशि के विनियोजन प्रस्तावों पर विचार-विनिमय करेगा।

पश्चिम बंगाल में उद्योग-धंधों को पुनः चालू कराने में मेरी सरकार ने विशेष रुचि ली है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो सोलह-सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है उस पर अमल हो रहा है।

हाल की आपातकालीन स्थिति के उत्पन्न होने पर, मैंने यह कहा था कि हड़ताल और तालाबन्दी नहीं होनी चाहिए जिससे कि औद्योगिक अशांति के कारण उत्पादन में ढील न आने पाये। प्रधान मंत्री ने भी मज़दूर नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं

कि उद्योग-धंधों में काम करने वाले मज़दूर औद्योगिक शांति बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। उनको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि अधिक उत्पादन के लाभ का सरकार निश्चित रूप से समुचित वितरण कराएगी।

सहायता देने वाले देशों की सहायता के माध्यम से हमारी नीति को प्रभावित करने की प्रवृति के कारण आत्म-निर्भरता शीघ्र प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। यह अनिवार्य है कि हम कृषि उत्पादन की कमी को पूरा करें, मशीनों की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करें, हड़ताल और तालाबन्दी समाप्त करें और हर क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करें। उद्योग के क्षेत्र में इस्पात और खाद और कृषि क्षेत्र में कपास और तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलों के अधिकाधिक उत्पादन और तकनीकी क्षमता की वृद्धि से ही आर्थिक स्वराज्य प्राप्त हो सकेगा। हमें उत्पादन की दक्षता और कम लागत को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने निर्यात में वृद्धि करने और आयात की जाने वाली वस्तुओं की जगह अपनी चीजें बनाने में हमें गंभीरतापूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ काम करना चाहिए।

सेलम, विशाखापतनम और विजय नगर के नए इस्पात कारखानों का प्रारम्भिक कार्य चल रहा है। सरकार ने इस्पात और पत्थर का कोयला, लोहा, मेंगनीज़ जैसे सम्बद्ध उद्योगों के लिए एक नियन्त्रक कम्पनी स्थापित करने का निर्णय किया है जिससे कम से कम लागत पर समन्वित विकास सुनिश्चित हो सके। खाद्य-उत्पादन की दिशा में आत्म-निर्भरता के लिए प्रयास जारी हैं। दो खाद कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया है तथा दो और कारखाने प्राय: तैयार हो चुके हैं। अन्य तीन कारखानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है जिनमें से दो का उत्पादन कार्य कोयले पर आधारित होगा। इसी तरह का तीसरा कारखाना शीघ्र ही बनना शुरू होगा। छ नई परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं जिनमें से तीन सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

गहन कपास जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत तेरह जिलों में प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त कपास की अधिक पैदावार वाली एक नई किस्म-संकर 4-के प्रसार से सम्बद्ध एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। सोयाबीन तथा सूर्यमुखी जैसे नए तिलहनों का प्रयोग आरम्भ कर दिया गया है। केन्द्र की ओर से चलाई जाने वाली एक स्कीम के अन्तर्गत 1973-74 तक 4 लाख हैक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की खेती होगी। सूर्यमुखी की उपयुक्त किस्मों का परीक्षण और चयन का काम शुरू हो गया है।

नवगठित विज्ञान एवं प्रोद्योगिक राष्ट्रीय समिति ने कई प्रकार से इस बात का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। कि अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आत्म विश्वास जगाने में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी प्रयास किस प्रकार सहायक हो सकते हैं।

आर्थिक स्वराज प्राप्त करने के लिए बाहरी सहायता पर निर्भरता को कम करने के साथ साथ घरेलू साधनों को अधिकाधिक जुटाना व सभी क्षेत्रों में कठोर वित्तीय अनुशासन रखना भी आवश्यक है। राज्य सरकारों के परामर्श से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक उनके ओवरड्राफ्टों में कमी लाई जा सके। यह आवश्यक है कि कृषक समुदाय के समृद्धि वर्ग के पास जो अतिरिक्त आय जमा हो रही है उसके कुछ अंश को भी राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग में लाया जाए। सरकार ने इस समस्या की जाँच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है।

यह संतोष की बात है कि शरणार्थी सहायता तथा पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बावजूद कीमत की स्थिति नियन्त्रण के बाहर नहीं गई। फिर भी सरकार इससे सतुष्ट नहीं है और वह कीमतों तथा अनिवार्य वस्तुओं के वितरण पर कड़ी नज़र रखेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मज़बूत बनाई जाएगी और ऋण सम्बन्धी नीति की निरन्तर समीक्षा की जाएगी।

योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से इस बात का पता चला है कि समाज कल्याण से सम्बद्ध स्कीमों को कार्यान्वित करने की ओर कम ध्यान दिया गया है। इस प्रवृत्ति में सुधार लाया जा रहा है।

एक ऐसी स्कीम मंजूर की गई है जिसमें भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के आवास के लिए मुफ्त जमीन देने में केन्द्रीय सरकार मदद करेगी। इससे ज़मींदारों द्वारा बेदखल किये जाने वाले किसानों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों के कार्यों को सहायता मिलेगी। शहर की गन्दी बस्तियों में सुधार से सम्बद्ध एक योजना भी सरकार ने मंजूर कर ली है। कलकत्ता के मैट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिए नगर पुनर्निर्माण तथा नवीकरण योजना का काम पूरे जोर से चला। चालू वर्ष में जल पूर्ति, परिवहन, आवास तथा इस क्षेत्र में विकास सम्बन्धी अन्य कार्यों पर 40 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है।

शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर अभी तक आठ राज्यों ने केन्द्रीय कानून बनाने के विचार का समर्थन किया है। उनसे यह आग्रह किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत वे अपने विधान मण्डलों में प्रस्ताव पारित कराएं। इस बीच, जैसा कि आवास मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई है, एक अध्ययन दल इसके क्रियान्वयन के कुछ पक्षों की जांच कर रहा है।

प्रतिरक्षा और शरणार्थियों के कामों में उलझे रहने पर भी सरकार ने सामाजिक संरचना में महत्त्वपूर्ण सुधार लाने के प्रयास में प्रगति की। इस वर्ष की एक महत्त्वपूर्ण घटना यह थी कि राजाओं के विशेषाधिकार और भत्ते समाप्त कर दिए गए। साथ ही संसद् ने संविधान में कुछ ऐसे संशोधन किये जिनसे ऐसे कदम उठाए जा सकेंगे कि एक समतायुक्त समाज का निर्माण हो सके।

सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र का भी पुनर्गठन किया तथा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तथा संघ शासित मिज़ोरम और अरूणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। राष्ट्र की सद्भावना इन क्षेत्रों के लोगों के साथ है। उत्तर पूर्वी परिषद् की जल्द ही स्थापना होगी। मुझे आशा है कि ये राज्य तथा संघशासित क्षेत्र अपने विकास प्रयत्नों में समन्वयन लाकर शीघ्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे।

सोलह राज्यों और दो संघ प्रदेशों में अभी अभी चुनाव हुए हैं। जिस शान्ति के साथ यह चुनाव सम्पन्न हुए वह हमारी जनता की परिपक्वता और संसदीय लोकतन्त्र में उनकी दीर्घ आस्था की परिचायक है। विभिन्न राज्यों में जनता की पसन्द से जो नई सरकारें बनेंगी, गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के हमारे समान कार्य में उनको मेरी सरकार पूरा सहयोग देगी।

शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में बंगला देश का अभ्युदय इस उपमहाद्वीप के इतिहास में ही क्या वास्तव में मनुष्य द्वारा स्वतन्त्रता की खोज की दिशा में भी एक अभूतपूर्व घटना है। बंगला देश के लोगों की विजय से हम भी खुश हैं। हमें इस बात का संतोष है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं इतनी जल्दी बंगला देश से लौट आईं। शेख मुजीबुर्रहमान और उनके सहयोगियों ने हमारे सरकारी

नेताओं के साथ पारस्परिक हित के मामलों पर कई बार विचार-विमर्श किया है। पारस्परिक हित के मामलों पर आगे विचार करने के लिए तथा बंगला देश के बहादुर लोगों को भारतीय जनता की बधाई देने के लिए हमारी प्रधानमंत्री शीघ्र ही ढाका जाएंगी। बंगला देश के उजड़े हुए लोगों को फिर से बसाने तथा वहां की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के विशाल कार्य के लिए मेरी सरकार बंगला देश को यथासम्भव सहयोग दे रही है। हमें विश्वास है कि दोनों देशों के बीच मित्रता और सभी क्षेत्रों में सहयोग की अबाध प्रगति होगी। ऐसे सम्बन्धों के विकास के लिए हमारे आदर्श और दृष्टिकोण की समानता शुभ लक्षण है। एक दृढ़, शान्तिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बंगला देश से इस उप-महाद्वीप में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की शक्ति और स्थिरता को बल मिलेगा। हमें विश्वास है कि इस नए देश को राष्ट्रों के समुदाय में अपना प्रभावी सहयोग देने का अवसर प्राप्त होगा।

हम पाकिस्तान की जनता और सरकार के प्रति भी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। दोनों देशों के बीच बिना किसी शर्त के द्विपक्षीय बातचीत करने का प्रस्ताव करने में हमने पहल की है। हमें आशा है कि पाकिस्तान उप-महाद्वीप की बदली हुई स्थिति को स्वीकार करके इस पहल का उत्तर सद्भावना पूर्वक देगा। पाकिस्तान अथवा किसी अन्य देश की भूमि हड़पने का भारत का कोई इरादा नहीं है। इस बात की पुष्टि, यदि पुष्टि की आवश्यकता हो तो, इसी से होती है कि पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा बंगला देश में हथियार डाल देने के बाद हम ने पश्चिमी मोर्चे पर एकतरफा और स्वेच्छा से युद्ध विराम की घोषणा की।

पिछले वर्ष हमारी विदेश नीति ने जटिल चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। उप-महाद्वीप में काम कर रही शक्तियों के विषय में हमारे सही विश्लेषण और उन से निपटने में हमने जो संयम दिखाया, उसकी सभी ने सराहना की है। हमारे अधिकतर पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों में सुधार हुआ है।

पिछले वर्ष अगस्त में शान्ति, मित्रता और सहयोग की जिस भारत-रूस संधि पर हस्ताक्षर किये गए उससे हमारी पुरानी मित्रता पर मोहर लग गई। यह युद्ध के विरुद्ध एक शान्ति-संधि है। किसी देश के विरुद्ध नहीं है।

हम संयुक्त राष्ट्र में चीन लोक गणराज्य के प्रवेश का, चाहे वह विलम्ब में ही हुआ, स्वागत करते हैं। इस कदम का हम सदैव समर्थन करते रहे हैं। हमें आशा है कि इससे एशिया तथा विश्व में शान्ति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

अमरीका की सरकार ने बंगला देश के लोगों द्वारा किए गए अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों और मूलभूत आज़ादी के संघर्ष के प्रति जो गैर-सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया उससे इस देश में गहरी निराशा हुई। अमरीकी जनमत ने तो पर्याप्त सहानुभूति व्यक्त की और पाकिस्तान के भूत-पूर्व सैनिक शासकों की नीतियों की आलोचना की। इससे यह आशा होती है कि अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध, जो पारस्परिक सम्मान और समझ-बूझ पर आधारित हैं, नहीं बिगड़ने पायेंगे।

अमरीका और चीन द्वारा अपने सम्बन्धों को पुनर्निर्धारित करने का प्रयास इस वर्ष की एक सबसे महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटना है। हमें उम्मीद है कि इससे तनाव में कमी ही आएगी न कि मतभेद और बढ़ेंगे।

विश्व शक्तियों का रूप तेज़ी से बदल रहा है। महान शक्तियों के बीच आपसी सम्बन्धों

तथा अन्य शक्तियों के साथ उनके सम्बन्धों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी मूलभूत बातें हैं जिन्हें छोटे और बड़े सभी राज्यों को ध्यान में रखना होगा। किसी भी राज्य को शक्ति-संतुलन के सिद्धान्त का प्रयोग कर अपने लिए प्रभाव क्षेत्र के निर्माण का प्रयास इस भू भाग में नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें छोटे या बड़े देशों को दूसरे देशों के साथ उनके सम्बन्धों के बारे में अपना निर्णय थोपना चाहिए। भारत कोई नेतृत्व या आधिपत्य नहीं चाहता पर वह किसी दूसरे का आधिपत्य भी सहन नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि यह उप-महाद्वीप, वास्तव में समूचा दक्षिण एशियाई तथा हिन्द महासागर के क्षेत्र शक्ति प्रतिस्पर्धाओं अथवा आधिपत्य से मुक्त रहे और इस क्षेत्र का विकास शान्ति और सहयोग के क्षेत्र के रूप में हो, न कि संघर्ष के। भारत यह भी चाहेगा कि सबसे पहले उप-महाद्वीप के देशों के बीच और उसके बाद दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के अन्य देशों के बीच अधिकाधिक क्षेत्रीय सहयोग, विशेष रूप में टैक्नोलोजी, व्यापार और परिवहन, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन व बढ़ावा दिया जाए।

मेरी सरकार चार शक्तियों के बर्लिन समझौते का स्वागत करती है और आशा करती है कि यूरोप में तनाव कम होने की प्रक्रिया चलती रहेगी ताकि सम्बन्धित देशों के बीच स्थायी समझौते हो सकें।

बहरीन, कतार और संयुक्त अरब अमीर संघ का स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में अभ्युदय एक शुभ घटना है।

मेरी सरकार को इस बात पर खेद है कि पश्चिम एशिया और वियतनाम में संघर्ष अब भी जारी है। मेरी सरकार को आशा है कि इन दोनों क्षेत्रों में शान्ति स्थापित करने के प्रयासों के परिणाम शीघ्र ही सुलभ होंगे। वियतनाम में घनघोर बमबारी शान्ति स्थापित करने की इच्छा के अनुरूप नहीं है।

नागरिकता तथा अधिकाधिक आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-श्रीलंका समझौते के सतत कार्यान्वियन से, श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्ध मज़बूत हुए हैं। नेपाल के साथ नई व्यापार तथा पारगमन संधि के सफलतापूर्वक निष्पादन से दोनों देशों के बीच गलतफहमी दूर हुई और हमारे आपसी लाभ के लिए सहयोग के क्षेत्रों का रास्ता खुल गया है।

नेपाल के महामहिम राजा महेन्द्र का आकस्मिक निधन हमारे लिए बहुत दुख की बात है। नेपाल के नये नरेश, सरकार एवं वहां की जनता के प्रति हम अपना सहयोग और शुभकामना व्यक्त करते हैं। हम उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि इस क्षेत्र में शान्ति, प्रगति एवं स्थायित्व को सुदृढ़ करने के लिए हमारी मैत्री एवं सहयोग उन्हें सदा मिलता रहेगा।

भूटान से हमारा निकट सम्बन्ध है तथा यह अत्याधिक सन्तोष का विषय है कि सितम्बर 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया है। हमारे पहले के आश्वासनों के अनुरूप भूटान के साथ हमारा सहयोग लगातार बना रहा है और भविष्य में भी दोनों देशों एवं जनता के हितों में इस सहयोग की भावना अवश्य बढ़ेगी।

आंतरिक एवं बाहरी मामले के सर्वेक्षण में विधायी एवं अन्य कार्यों के उल्लेख को जो आपके सामने आयेगा, शामिल करना आवश्यक है।

आपके समक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए भारत सरकार के आय-व्यय का प्राक्कलन शीघ्र ही विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

भारत के आकस्मिक व्यय निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972, प्रशासक सामान्य (संशोधन) अध्यादेश, 1972, सार्वजनिक वक्फ (परिसीमन का विस्तार) (देहली संशोधन) अध्यादेश, 1972 और भारतीय ताम्र निगम (प्रबन्ध का लिया जाना) अध्यादेश 1972 की जगह संसद् के समक्ष सरकार विधेयक प्रस्तुत करेगी। सरकार द्वारा संसद में निम्नलिखित विधेयक भी प्रस्तुत किये जायेंगे :

1. पुरावस्तु एवं कला भंडार विधेयक, 1972।
2. उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पर्वतीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक।
3. अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक 1972।
4. सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, स्वर्ण नियन्त्रण, आयकर एवं सम्पत्तिकर से संबद्ध कानूनों का उल्लंघन कर कुछ प्रकार के आर्थिक अपराधों के लिए कड़ी सज़ा की व्यवस्था के लिए विधेयक।
5. विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम में संशोधन की व्यवस्था के लिए एक व्यापक विधेयक ।
6. आम बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिए विधेयक ।
7. उन कोकिंग-कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के लिए विधेयक जिनका प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा ले लिया गया था।
8. वायुदूषण नियन्त्रण विधेयक।
9. अशांत क्षेत्र (विशेष अदालत) विधेयक।

सम्मानीय सदस्यो, अन्त में मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई किसी सैनिक कार्रवाई से कम बहादुरी की बात नहीं है। इस महान संघर्ष के लिए कठिन परिश्रम एवं लक्ष्य के प्रति गहन निष्ठा की आवश्यकता है। सतत् परिश्रम एवं त्याग के बिना कभी कोई महान कार्य नहीं हुआ है। मैं इस महान देश के सभी वर्ग के लोगों एवं दलों से निवेदन करता हूँ कि युद्ध के समय आप लोगों ने जिस एकता की भावना का प्रदर्शन किया, देश के निर्माण के लिए भी वैसी ही भावना का प्रदर्शन करें। महानता इस राष्ट्र का आह्वान कर रही है—वह महानता जो परम्परागत शक्ति-संचय द्वारा नहीं बल्कि आत्मिक बल से प्राप्त होती है।

————

निधन-सन्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण ! आज ढाई महीने के अन्तराल के पश्चात सभा में एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम मुझको यह दुखद कर्त्तव्य पूरा करना पड़ रहा है कि मेरे कुछ साथी तथा मित्रवर इस दौरान हमसे सदा के लिए बिछुड़ गये हैं।

नेपाल के महाराजा महामहिम महेन्द्र बीर विक्रम शाहदेव का 31 जनवरी, 1972 को 51 वर्ष की आयु में असमय में देहान्त हो गया। उनके सफल नेतृत्व में नेपाल ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की। उनके शासनकाल में नेपाल संयुक्तराष्ट्र का सदस्य बना तथा नेपाल ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। भारत को उनकी मैत्री का बहुत सहारा था। उन्होंने नेपाल में अनेक

सामाजिक सुधार भी किये । मैं आशा करता हूँ कि सदस्यगणयं उनके पुत्र महामहिम नेपाल के महाराजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव तथा राजमाता रत्ना राज्य लक्ष्मी देवी एवं परिवार के अन्य सदस्यों तथा नेपाल की जनता को सांत्वना सन्देश भेजने में मेरा साथ देगें।

मुझे यह दुःखद सूचना देनी है कि हमारे इस सभा के दो सदस्य श्री असगर हुसैन तथा श्री दुर्गादास भाटिया तथा आठ पुराने साथी सर्वश्री बी. के. गायकवाड़, स्वामी रामानन्द तीर्थ, शिवानन्द रामौल, एन. सी. चटर्जी, बी. एम. सखते, गुलाबशंकर अमृत लाल ढोलकिया, एन. सिद्धनंजप्पर तथा श्रीमती सुषमा सेन का भी देहान्त हो गया है। श्री असगर हुसैन महाराष्ट्र के अकोला निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य थे, वह चौथी लोक-सभा के भी सदस्य थे और उन्होंने प्राक्कलन समिति में बड़ा अच्छा काम किया। उनकी मृत्यु 56 वर्ष की आयु में 27 जनवरी, 1972 को बम्बई में हुई। श्री भाटिया पंजाब के अमृतसर निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा में चुनकर आये थे। वह अमृतसर में नगरपालिका के दस वर्ष से अधिक समय तक सभापति रहे थे, उनका अनेक शिक्षा तथा धार्मिक संस्थाओं से सम्बन्ध था। उनका 64 वर्ष की आयु में 2 फरवरी, 1972 को कैन्सर रोग के कारण देहान्त हो गया। श्री बी. के. गायकवाड़ 1957-62 में लोक-सभा के सदस्य थे, उसके बाद वह राज्य सभा के सदस्य बने। उनका अनेक शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्ध था। उनका 69 वर्ष की आयु में 29 दिसम्बर, 1971 को नई दिल्ली में देहान्त हो गया।

स्वामी रामानन्द तीर्थ 1952-62 के दौरान प्रथम तथा द्वितीय लोक-सभा के सदस्य थे। वह सर्वोदय नेता थे और स्वतंत्रा संग्रामी थे, उन्होंने समाज के गरीब तथा कमजोर वर्गों की भलाई के लिए अपना जीवन समपर्ण किया। वह उन कुछ व्यक्तियों में से थे जो सामाजिक कार्य को दैवी मिशन समझते थे। उनका 69 वर्ष की आयु में 22 जनवरी, 1972 को हैदराबाद में देहान्त हो गया।

श्री शिवानन्द रामौल 1959-62 की अवधि में दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे। वह हिमाचल प्रदेश के महारू निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे। उनका 78 वर्ष की आयु में 22 जनवरी, 1972 को नाहन में देहान्त हो गया।

श्री एन. सी. चटर्जी 1952-57 और 1963-70 की अवधि के दौरान पहली, तीसरी और चौथी लोक-सभा के सदस्य थे। उनका 77 वर्ष की आयु में 24 जनवरी, 1972 को कलकत्ता में देहान्त हो गया। वह प्रसिद्ध वकील तथा विधिवेता थे। प्रतिभा संपन्न ससदविज्ञ तथा ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने अपने स्वभाव से सभा का मन जीत लिया था और हम सब उनका सम्मान करते थे। जब कभी भी सभा के समक्ष कानून संबंधी विषय आते थे तो उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता था। उन्होंने अनेक स्थायी संसदीय समितियों और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर तथा संयुक्त समितियों में सराहनीय योगदान दिया था। वह अपनी आयु तथा बिगड़ती हुए स्वास्थ्य के कारण लोक-सभा का पिछला चुनाव नहीं लड़ सके थे। उनके सुपुत्र श्री सोमनाथ चटर्जी अब हमारे बीच में हैं और हम उनका दुःख बांटते हैं।

श्री वी. एस. सखते 1947-52 के दौरान संविधान सभा तथा अस्थायी संसद के सदस्य थे। वह पुराने क्रान्तिकारी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। राष्ट्र के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनको 1961 में पदम् भूषण की उपाधि दी गई थी। उनको साम्यवाद पर पुस्तक लिखने के लिए लेनिन पुरस्कार भी मिला था। इनका 88 वर्ष की आयु में 26 जनवरी, 1972 को इन्दौर में देहान्त हो गया।

श्री गुलाबशंकर अमृत लाल ढोलकिया 1950-57 से अस्थायी संसद और प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे। उनका 78 वर्ष की आयु में 29 जनवरी, 1972 को भुज में देहान्त हो गया।

श्री एच० सिद्दनँजप्पा 1952-67 की अवधि में पहली, दूसरी तथा तीसरी लोक-सभा के सदस्य थे और उन्होंने मैसूर के हसन चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उनका 64 वर्ष की आयु में 2 फरवरी, 1972 को बंगलौर में देहान्त हो गया।

श्रीमती सुषमा सेन 1952-57 की अवधि में पहली लोक-सभा की सदस्य थीं। वह बिहार में भागलपुर दक्षिण चुनाव क्षेत्र से चुनकर आई थीं। वह एक महान सामाजिक कार्यकर्त्री थीं। वह महिलाओं और बच्चों के कल्याण सम्बन्धी अभियानों में सक्रिय रुचि लेती थीं। उनका 83 वर्ष की आयु में 24 फरवरी, 1972 को नई दिल्ली में देहान्त हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि संतप्त परिवारों को संवेदना सन्देश भेजने में सभा मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिकी मंत्री, गृहमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जीवन और मृत्यु का चक्र बिना बाधा चलता रहता है। हमारे कुछ परिचित साथी हमसे बिछुड़ चुके हैं।

भारत के लोगों को महामहिम नेपाल के महाराजा महेन्द्र के निधन पर गहरा दुख है। वह एक महान राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने कठिनाई के समय में नेपाल का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में नेपाल का बहुत विकास हुआ है। हम उनकी मित्रता तथा उनके द्वारा हमारे साथ स्थापित किये गये निकट सम्बन्धों का आदर करते हैं। हम उनके परिवार तथा नेपाल के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम महामहिम महाराजा बीरेन्द्र के नेतृत्व में नेपाल से मित्रता सुदृढ़ करने तथा सहयोग की आशा करते हैं।

अन्तः समावधि में अनेक सदस्यों का निधन हो गया है और हमें इस पर गहरा दुःख है। मैं उन सभी सदस्यों से परिचित थी।

स्वामी रामानन्द तीर्थ देश के लोगों द्वारा चलाये गये अनेक आन्दोलनों के अग्रणी थे। उन्होंने कार्मिक संघ के नेता के रूप में अपना राजनैतिक भविष्य आरम्भ किया था। बाद में उन्होंने हैदराबाद के लोगों में राजनैतिक जागरुकता उत्पन्न करने में अपनी समूची शक्ति लगाई। स्वाधीनता प्राप्ति तथा हैदराबाद के विलय के अनेक वर्ष पश्चात तक वह राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे, वह पहली लोक-सभा के एक सम्मानित सदस्य थे और 1953 में हैदराबाद में कांग्रेस के सम्मेलन के वह मुख्य आयोजक थे। अपने अन्तिम वर्षों में उन्होंने रचनात्मक कार्यों, विशेषकर शिक्षा तथा सर्वोदय आन्दोलन की ओर अधिक ध्यान दिया। पिछली बार वह मुझे स्वामी राम तीर्थ के शताब्दी समारोहों के सम्बन्ध में मिले थे। हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया था कि सेवा ही सच्चा धर्म है।

श्री० एन० सी० चटर्जी एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे और बंगाल की मानवीय परम्पराओं के प्रतिनिधि थे। उनको इस सभा में तथा इससे बाहर ध्यानपूर्वक तथा सम्मान से सुना जाता था। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनैतिक आस्थाओं में परिवर्तन किया परन्तु देश

भक्ति, सामाजिक न्याय तथा कानूनी औचित्य में वह दृढ़ रहे। वह नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिये सदा बोलते रहे। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मामलों में मैंने सदा उनके परामर्श की सराहना की है।

श्री बी० के० गायकवाड़ मृत्यु के समय दूसरी सभा के सदस्य थे परन्तु वह लोक-सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वह अनुसूचित जातियों तथा सभी पिछड़े वर्गों के लोगों की समस्याओं की ओर निरन्तर हमारा ध्यान दिलाते रहे। उनकी मृत्यु से महाराष्ट्र तथा भारत को एक श्रद्धावान नेता की हानि हुई है।

श्री शिवानन्द रामौल और श्री वी० एस० सखते राज्यों के लोगों के आन्दोलन के हीरो थे। मैं अनेक वर्षों तक श्री रामौल के कार्य से सम्बन्धित रही हूं। वह अनेक वर्षों तक हिमाचल प्रदेश विशेषकर सिरमूर के राजनैतिक जीवन में सक्रिय रहे। वह सत्याग्रह के समय के एक अच्छे प्रतिनिधि थे।

श्री सखते ने पुराने इन्दौर राज्य में लोकतंत्रात्मक अधिकारों की मांग उठाई थी और वह संविधान सभा के सदस्य थे।

श्रीमती सुषमा सेन हमारे देश के महिला कांफ्रेन्स आन्दोलन की प्रमुख अग्रणी थीं और सदा महिला अधिकारों के लिए शुरु से ही लड़ती रहीं। वह इस शताब्दी के शुरु से ही अनेक सामाजिक सुधार कार्यक्रमों तथा राष्ट्रवादी आन्दोलन से सम्बन्धित थीं।

अमृतसर में लम्बी अवधि तक नागरिक कार्य करने के पश्चात श्री दुर्गादास भाटिया पिछले वर्ष ही इस सभा में आये थे। श्री जी० ए० ढोलकिया कच्छ जिले तथा बम्बई नगर में एक प्रसिद्ध राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। श्री सिद्धनन्जप्पा जोकि दो बार मैसूर में चुनकर आये थे, 35 वर्षों तक नागरिक कार्यों में सक्रिय रहे। श्री के० एम० असगर हुसैन ने शिक्षा तथा कृषि सम्बन्धी समस्याओं में विशेष रुची ली।

मैं आपसे निवेदन करती हूं कि संतप्त परिवार के सदस्यों को हमारी श्रद्धांजलि, सहानुभूति तथा संवेदन सन्देश भेज दिया जाये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : During the last two and a half months we have lost many of our colleagues. Shri Asghar Husain was an embodiment of civilization and culture. I miss him too much because I feel that today such persons are needed most.

Shri Durga Das Bhatia had accompanied us almost in all the delegations and he always came to the forefront to solve the problems of the people.

Shri Gaikwad was a unified factor. Last time when I met him I wished him long life but with smiling face he said that now he will not survive for a long time.

Swami Ramanand Tirath was a symbol of patience. He devoted his life for social work is Hyderabad. There are very few persons like him in this world. He never raised any issue unnecessarily.

A big gulf has been created by the death of Shri Chatterjee. We may not have a Jurist of his calibre in India in the near future. I hope that his son who is now a Member of this House will follow the tradition established by his father. I was not having any personal contacts with the departed souls. I request you, Sir, to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

श्री के० मनोहरन् (मद्रास उत्तर) : दस सहयोगियों की दुःखद मृत्यु पर, जो कि संसद

सदस्य थे, अध्यक्ष महोदय द्वारा तथा सदन के नेता द्वारा व्यक्ति की गई भावनाओं में मैं और मेरा दल सहभागी है। अपने दल की ओर से मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि इन दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों को हमारी हार्दिक संवेदना भेज दें।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I associate myself with the sentiments expressed in the House for the deceased colleagues and pay homage to them on behalf of my party. May their Souls rest in peace. On behalf of my party, I request you to convey condolences to the bereaved families.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : अध्यक्ष महोदय द्वारा तथा सदन के नेता द्वारा व्यक्ति की गई भावनाओं से मैं और मेरा दल सहमति प्रकट करता है और मैं आप से अनुरोध करूंगा कि शोक संतप्त परिवारों तक हमारी भावनाएं पहुंचा दें।

श्रीमती एम० गौडफ्रे (नामनिर्देशित–आंग्ल भारतीय), आप के द्वारा तथा सदन के नेता द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से मैं सहमति प्रकट करती हूँ और अपने दल की ओर से मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों तक हमारी हार्दिक संवेदना पहुंचा दें।

अध्यक्ष महोदय : अपना शोक प्रकट करने के लिए अब सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े हो जाये।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आर्थिक समीक्षा

वित्त मंत्रि (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : "मैं आर्थिक समीक्षा, 1971-72" की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1371/72]

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) नियम, 1971

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्री उमाशंकर दीक्षित की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम 1966, की धारा 19 के अन्तर्गत, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1376/72]**

(2) लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1883 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1372/72**]

संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत अध्यादेश, मद्रास पत्तन व्यास के वार्षिक लेखे तथा नाविक भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1971

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का संख्या 1), जो राष्ट्रपति द्वारा 9 फरवरी, 1972 को प्रख्यापित किया गया था।

(दो) महाप्रशासक (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का संख्या 2), जो राष्ट्रपति द्वारा 25 फरवरी, 1972 को प्रख्यापित किया गया था।

(तीन) सार्वजनिक वक़्फ (परिसीमन का विस्तार) (दिल्ली संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का संख्या 3), जो राष्ट्रपति द्वारा 8 मार्च, 1972 को प्रख्यापित किया गया था।

(चार) भारतीय तांबा निगम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का संख्या 4), जो राष्ट्रपति द्वारा 10 मार्च, 1972 को प्रख्यापित किया गया था। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1373-72**]

(2) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1969-70 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1374/72**]

(3) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1907 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1375/72**]

दिल्ली विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण] की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1377/72]**

———

तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता, मद्रास, भोपाल और चण्डीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता, का वर्ष 1967-68 और 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(तीन) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिण क्षेत्र), मद्रास, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(चार) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिण क्षेत्र), मद्रास, का वर्ष, 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(पांच) पश्चिमी क्षेत्र तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1378/72]

(2) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र), चण्डीगढ़, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र) चण्डीगढ़, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(तीन) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1379/72]

———

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत, बिहार राज्य के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 जनवरी, 1972 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी, 1972, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 19 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (भ) के अनुसरण में जारी किये गये दिनांक 9 जनवरी 1972 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 20 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1380/72]**

(तीन) राष्ट्रपति के नाम बिहार के राज्यपाल के दिनांक 27 दिसम्बर, 1971 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1381/72]**

(2) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत, त्रिपुरा राज्य के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 21 जनवरी, 1972 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 49 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उप खंड (भ) के अनुसरण में जारी किये गये दिनांक 21 जनवरी, 1972 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 जनवनी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 50 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1382/72]**

(3) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत, मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 21 जनवरी, 1972 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 51 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (भ) के अनुसरण में जारी किये गये दिनांक 21 जनवरी, 1972 के आदेश (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी, 1972, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 52 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1399/72]**

(4) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत, बिहार राज्य के संबन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 मार्च, 1971 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 मार्च, 1971 में अधिसूना संख्या जी० एस० आर० 97 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखंड (झ) के अनुसरण में जारी किये गये दिनांक 9 मार्च, 1972 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 98 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी 1383/72]**

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1384/72]**

भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा, चीनी उद्योग विकास परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन, गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाऐं, गुजरात पंचायत सेवा सामान्य भविष्य निधि नियम, 1971 गुजरात ग्राम और नगर पंचायत कर और फीस (संशोधन) नियम 1971

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा, के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1385/72]**

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4)

के अन्तर्गत चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1386/72]**

(3) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उदघोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 323 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति :—

(क) (एक) गुजरात पंचायत आवंटित कर्मचारी (राज्य सेवा को पुनः आवंटन) (संशोधन नियम, 1971, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या कं० पी०/71-36/पी० आर० आर०–54 (1) 71-जे० एच० में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण।

(तीन) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर न रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण।

(ख) (एक) गुजरात पंचायत सेवा सामान्य भविष्य निधि, नियम, 1971, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या के० के० पी०/71-109/जी० पी० एफ०/1067-5534-टी० एच० में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण।

(तीन) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण।

(ग) (एक) गुजरात ग्राम और नगर पंचायत कर और फीस (संशोधन) नियम, 1971, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या के० पी०/71-147/पी० आर० आर० 43/(24) 171-जे० एच० में प्रकाशित हुए थे, तथा व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण।

(तीन) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखे एये। देखिये संख्या एल० टी० 1387/72)

————

निर्वाचन विधि में संशोधनों सम्बन्धी संयुक्त समिति प्रतिवेदन

JOINT COMMITTEE ON AMENDMENTS TO ELECTION LAW

REPORT

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं निर्वाचन विधि में संशोधनों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (भाग 1 और 2) प्रस्तुत करता हूँ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1971-72

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1971-72

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1971-72 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1969-70

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1969-70

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1969-70 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1971-72

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1971-72

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मैं वर्ष 1971-72 के बजट (रेलवे) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1969-70

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 1969-70

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मैं वर्ष 1969-70 के बजट (रेलवे) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : सदन को स्थगित करने से पूर्व मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि इस महीने के दौरान शनिवारों को भी सभा का कार्य चलेगा । समय के अभाव के कारण 18 और 25 मार्च को, दोनों शनिवारों को भी सभा की बैठक होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 14 मार्च 1972/24 फाल्गुन, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, March 14, 1972/Phalguna 24, 1893 (Saka)

Printed by Argus Publishing House (P) Ltd., New Delhi-48.